कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

हमने यह लेखापरीक्षा क्यों की?

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 का लक्ष्य वृहद वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के माध्यम से देश में विशेष रूप से बंजर, अवनत और अनुत्पादक भूमि पर वन/वृक्ष आवरण को मूलतः बढ़ाना है। राज्य सरकार ने 1998 में उत्तर प्रदेश वन नीति को अंगीकृत एवं कार्यान्वित किया। अक्टूबर 2017 में, राज्य सरकार ने अपनी नई राज्य वन नीति तैयार एवं अंगीकृत की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, उ.प्र. सरकार (वन विभाग) को वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से अवनत वन भूमि के पुनर्जनन के साथ लोगों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान और वन एवं वन्यजीव के सतत् प्रबन्धन के लिए राज्य के वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रबन्धन, संरक्षण और सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है।

वन आवरण में वृद्वि के उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये, राज्य सरकार बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चला रही है और उसने उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान 101.35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था जिसके सापेक्ष उपलब्धि 103.78 करोड़ पौधे की थी।

उत्तर प्रदेश राज्य में वृक्षारोपण गतिविधियों को केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे सामाजिक वानिकी, हरित पट्टी विकास योजना, कुल वन आवरण योजना, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के अन्तर्गत वृक्षारोपण तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) आदि के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान, राज्य वन विभाग ने वृक्षारोपण और वन संरक्षण पर ₹ 3,459.69 करोड़[1] व्यय किये।

'वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रम' की निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिये की गयी थी कि क्या वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी से सम्बन्धित एक्शन प्लान, योजनाएं और कार्यक्रम मितव्ययिता से, प्रभावी ढंग से और कुशलता से लागू किये गये थे, निधियाँ उपलब्ध थी, निधि प्रवाह को वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ समन्वित किया गया था और निधियों का उपयोग वन विभाग के साथ–साथ अन्य विभागों द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार किया गया था; वन भूमि का व्यपवर्तन और पट्टे का निष्पादन/नवीनीकरण विद्यमान कानूनों/नियमों के अनुसार था और विभाग के पास अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं नियंत्रण के लिये पर्याप्त प्रणाली थी।

लेखापरीक्षा में क्या पाया गया और हम क्या संस्तुति करते हैं?

लेखापरीक्षा ने पाया कि वृक्षारोपण गतिविधियों के नियोजन, कार्यान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण में कमियाँ थी जिनकी चर्चा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गयी है।

नियोजनः लेखापरीक्षा ने वन विभाग के प्रभागों और ग्राम्य विकास विभाग की कार्य योजनाओं के तैयार करने में कमियाँ पायी। कार्य योजनाओं के निर्देशों[2] का पालन भी नहीं किया गया। वन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों में वित्तीय नियमों का उल्लंघन कर व्यय का अतिरेक किया गया।

वृक्षारोपण गतिविधियों का कार्यान्वयनः वन विभाग ने गलत तरीके से वृक्षारोपण के वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि में वन भूमि के व्यपवर्तन के सापेक्ष एवं बीटिंग अप[3] में किये गये वृक्षारोपण को सम्मिलित किया जो अनुमन्य नहीं था।

---

1 कैम्पा निधि से ₹ 1,216.79 करोड़ का व्यय सम्मिलित है।

2 कार्य योजनाओं के निर्देश कार्य योजनाओं में सम्बन्धित वन प्रभागों के लिए निर्धारित गतिविधियों को संदर्भित करते हैं।

3 बीटिंग अप वृक्षारोपण के अगले वर्षा ऋतु में मृत पाये गये पौधों का प्रतिस्थापन है।

ग्राम्य विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.) के द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान किये गये वृक्षारोपण में मृत्यु दर अधिक थी।

कैम्पा के अन्तर्गत वृक्षारोपण: वन विभाग ने प्रयोक्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) चार्जेज एवं सेन्टेज चार्जेज की कम वसूली की। वन विभाग ने पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुसार पट्टा समझौतों को पंजीकृत नहीं किया और प्रीमियम/पट्टा किराया भी कम वसूल किया।

अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं आन्तरिक नियंत्रण तंत्र: वन विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग अपर्याप्त अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली के कारण वृक्षारोपण गतिविधियों का उचित अनुश्रवण करने में विफल रहे क्योंकि वन विभाग कैम्पा निधि से की गयी वृक्षारोपण गतिविधियों के समवर्ती अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए बनाये गये ई–ग्रीन वाच पोर्टल पर आवश्यक डाटा अपलोड करने में विफल रहा। विभाग वृक्षारोपण कार्यो के प्रभावी एवं पारदर्शी प्रबंधन और अनुश्रवण के उद्देश्य से बनाये गये पीएमएस पोर्टल पर डाटा की सटीकता बनाये रखने में विफल रहा। वन विभाग वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने और नये अतिक्रमण को रोकने में भी विफल रहा। गलत वाहन पंजीकरण संख्याओं का उपयोग करके संदिग्ध वृक्षारोपण कार्यों के भुगतान के प्रकरण भी देखे गए।

अभिलिखित वन क्षेत्र में वर्ष 2017 से 2021 के दौरान वन आवरण में 100 वर्ग किलोमीटर की कमी इंगित करती है कि वन विभाग की वृक्षारोपण गतिविधियाँ राष्ट्रीय/राज्य वन नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही।

संस्तुतियाँ

लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि:

- **वन विभाग/ग्राम्य विकास विभाग राज्य में वन के सतत् प्रबंधन के लिए वैध कार्य योजनाएं समय पर तैयार कर सकते है और उनके निर्देशों का कठोरता से पालन कर सकते है।**
- **राज्य सरकार वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय के अतिरेक को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट दिशा–निर्देश निर्गत कर सकती है।**
- **वन विभाग को प्रतिपूरक वनीकरण के दिशा–निर्देशों का कठोरता से पालन करना चाहिए एवं विद्यमान निर्देशों के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक वनीकरण चार्जेज, अतिरिक्त एनपीवी और सेंटेज चार्जेज आरोपित एवं वसूल करने चाहिए।**
- **वन विभाग ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर पूर्ण एवं सही डाटा अपलोड करना और मॉड्यूलों की सभी फील्ड को भरना सुनिश्चित कर सकता है। अग्रेतर, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किये गए वृक्षारोपण का अनुश्रवण और आवधिक रिर्पोटिंग, विभाग द्वारा वन विभाग के समन्वय से सुनिश्चित की जा सकती है।**
- **वन विभाग वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और उसके दिशा–निर्देशों के अनुसार अन्य सम्बन्धित सरकारी विभागों के समन्वय से वन भूमि के अतिक्रमण को समयबद्ध तरीके से हटाना सुनिश्चित कर सकता है।**
- **वन अधिकारियों को वृक्षारोपण गतिविधियों के कुशल अनुश्रवण के लिए निर्धारित निरीक्षण करना चाहिए और वृक्षारोपण गतिविधियों का सत्यापन करना चाहिए।**
- **वन विभाग गलत वाहन पंजीकरण संख्याओं का उपयोग करके कार्यान्वित किए जाने का दावा किए गये वृक्षारोपण कार्यों के भुगतान के मामलों की जाँच कर सकता है और उत्तरदायित्व तय कर सकता है।**